392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : इसका मतलब है कि जरूर कुछ दाल में काला है।

बकाये राशि का भुगतान

***146. श्री हरि शंकर प्रसाद यादव**—क्या मंत्री, ईख विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गन्ना उत्पादकों का गैर-सरकारी सभी मिल मालिकों के जिम्मे वर्ष 1987-88 का रुपया बाकी है;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों के बकाये राशि का भुगतान सूद के साथ, मिल मालिकों से करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

श्री रामानन्द यादव : खंड-1 : पैराई वर्ष 1987-88 में गैर सरकारी सभी चीनी मिलों द्वारा कुल 70 करोड़ 61 लाख एक हजार रुपये मूल्य का गन्ना खरीद की गयी थी जिसमें से 31-12-1988 तक 70 करोड़ 58 लाख 15 हजार रुपये का भुगतान गन्ना उत्पादकों को किया जा चुका है जो 19.71 प्रतिशत है। 14 लाख 86 हजार रुपये विभिन्न चीनी मिलों में बाकी रह गया है और भुगतान खुला हुआ है। गृहस्थ भुगतान नहीं लेने आ रहे हैं। राशि नगण्य है।

खंड-2 : उपर्युक्त उत्तर के आलोक में किसानों के बकाये राशि का भुगतान 19.71 प्रतिशत हो गया है। विलम्ब से भुगतान पर सूद भुगतान कराने के संबंध में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

श्री हरिशंकर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यक्ष से सरकार को यह जानना चाहता हूँ कि किन-किन सरकारी और गैर-सरकारी मिलों के पास गन्ना उत्पादकों का रुपया बाकी है और कितना रुपया बाकी है। किन-किन सरकारी और गैर-सरकारी मिलों के पास गन्ना उत्पादकों का कितना रुपया बाकी है, उदाहरण के साथ कौन-कौन मिल हैं?

श्री रामानन्द यादव : बहुत बड़ी लिस्ट है, कहें तो पढ़ दूं।

अध्यक्ष : कितना बाकी है किस-किस मिल के पास?

श्री रामानन्द यादव : 14 लाख रुपया कुल बाकी है प्राईभेट मिलों के ऊपर। माननीय सदस्य ने सरकारी मिलों के बारे में पूछा नहीं है, मूल प्रश्न जो है, उसमें यह नहीं है, वैसे मैं तैयार हूं, उत्तर दे रहा हूं। सरकारी मिलों से 1988 में 21 करोड़ 20 लाख 44 हजार रुपया का गन्ना 04 सरकारी चीनी मिलों ने खरीदा था, इसमें से 19 करोड़ 82 लाख 64 हजार रुपया पेमेंट हो गया है, अब केवल 2 करोड़ 18 लाख रुपया बाकी रह गया है सरकारी मिलों के पास, जिनकी संख्या 14 है। कुल 81 प्रतिशत सरकारी मिलों द्वारा पेमेंट किया गया था, जैसा कि मैंने वादा किया कि दिसम्बर तक क्लियर कर दिया जायेगा-सरकारी मिलों के ऊपर 3 करोड़ 18 लाख रुपया बाकी है, इसका पेमेंट कराने की भी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 2 करोड़ 18 लाख रुपया जो सरकारी मिलों के पास बकाया है तो किस परिस्थिति में समय पर किसानों को गन्ना का पैसा का भुगतान नहीं किया गया? तो क्या सरकार सूद के साथ बकाये पैसा का भुगतान गन्ना उत्पादकों को करना चाहती है?

श्री रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे गैर सरकारी मिल हो या सरकारी हों, सूद के साथ गन्ने का पैसा दिलवाने के लिये विचार कर रही है। पैसे सरकार को ही देना पड़ेगा। इसलिए सरकार गम्भीरता से सोच रही है।

श्री कुमुदरंजन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सभी मिलों के यहां किसानों के कितने रुपये वकाये हैं, लेकिन उनसे यह मैं जानना चाहता हूं कि जो वकाये की राशि है, उसके भुगतान के लिये जो नियम है यदि 14 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं होता है तो सूद समेत भुगतान किया जायेगा, तो आप कितने दिनों के अन्दर वकाये राशि को सूद समेत गन्ना उत्पादकों को भुगतान करना चाहते हैं।

श्री रामानन्द यादव : मैंने सदन को बताया है। मैंने कहा है कि लिस्ट बहुत बड़ी है, यदि आप कहे तो मैं एक-एक करके बता दूं।

श्री रामलखन सिंह यादव : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां सूद का सवाल है, नियमानूकुल सरकार को नीति के अनुसार 14 दिनों के अन्दर यदि मूल कीमत की भुगतान गन्ने उत्पादकों को नहीं किया जाता है, तो क्या सरकार को सूद के साथ भुगतान करना पड़ेगा, क्या सरकार इस नीति को मानती है?

श्री रामानन्द यादव : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है। गन्ना ऐक्ट के अनुसार 14 दिनों के बाद मूल मूल्य के साथ सूद अनिवार्य रूप से देना है, लेकिन कोई व्यक्ति केस करे तब, लेकिन आप जानते ही हैं कि कोई केस करता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं और सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं काफी पैसे पिछले सत्र के वकाये हैं और यहां हमने आश्वासन दिया था कि निश्चत रूप से हम दिसम्बर तक 80 प्रतिशत मूल

वकाये को दिलवा देंगे। हमलोग 81 परसेंट मूल दिलवा दिया है। 31 दिसम्बर 88 से जो वकाया है, उसके लिये प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सूद के साथ पैसे दिलाने का प्रश्न है, यह बड़ा जटिल प्रश्न है। सरकार की जो मिल है वह घाटे पर चल रहा है। यहां पर अधिक देर होती है, वनिस्पत प्राइवेट मिल से। प्राइवेट मिल वालों ने तो 99 परसेंट भुगतान कर दिया है। सरकार की तरफ से भी 81 परसेंट के करीब हो गया है।

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि यह प्रावधान है केन ऐक्ट में कि 14 दिन के अन्दर अगर पेमेंट नहीं होता है तो सूद के साथ पेमेंट किया जायेगा लेकिन केस नहीं होते हैं इस कारण से ऐसा हो नहीं पाता है। क्या सरकार यह बतायेगी कि केन ऐक्ट इतना कमजोर है जिससे मिल मालिकों से पैसा तत्काल वसूल करना कठिन काम होता है और जो किसान केस करते हैं उनको बहुत दिनों तक परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। इस कारण से केसेज नहीं होते हैं और केस नहीं होने के कारण सूद सहित पेमेंट नहीं हो पाता है। तो सरकार केन ऐक्ट में कुछ सख्त परिवर्तन लाना चाहती है जिससे कि किसानों को समय पर अगर भुगतान नहीं किया जाय तो मिल मालिकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का रास्ता निकाला जाय?

श्री रामानंद यादव : मान्यवर, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एंटायर केन ऐक्ट की रीस्ट्रक्चराईज किया जाय। सरकार की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार काम करेगी।

जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के कदम उठाने का सवाल है कि समय पर पेमेंट क्यों नहीं हुआ, हम लोगों ने बगहा मिल पर नोटिस दायर किया था, केसेज भी किया है, पेमेंट भी कराये

हैं लेकिन कोई इंडिविजुअल नहीं आया केस करने के लिये। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से भी कार्रवाई की है....

श्री बीरबल शर्मा : मान्यवर, चीनी मिल वालें गन्ना लेकर पैसा जल्दी नहीं देते हैं, किसानों की पूंजी, गन्ना तो मिल में चला जाता है और सरकार सूद दिलानें में अक्षम हो रही है तो क्या यह सही है कि मिल वालों से जिन किसानों ने ब्याज नहीं लिया है, जिनको नहीं मिला है उनको सरकार चक्रवृद्धि ब्याज दिलायेगी? क्या सरकार इसके लिये गन्ना ऐक्ट में प्रावधान करेगी?

श्री रामानंद यादव : मान्यवर, जैसा मैंने आपके माध्यम से सदन को बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि समय पर ईख की कीमत दे दी जाय और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रावधान हम करें जिससे समय पर किसानों को मूल्य दे सकें और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राईवेट मिलों पर हम कौन-सी कार्रवाई करें ताकि सूद के साथ पैसा किसानों को मिल सके।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं।

मेरी व्यवस्था यह है कि माननीय मंत्रीजी सिवान जिले से आते हैं मैं जानना चाहता हूं कि सिवान जिला में 1981 से एस. के. जी. चीनी मिल...

अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। अगला प्रश्न।

सिमेंट उत्पादन ने वृद्धि

*** 147. श्री रघुनाथ झा**—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—